



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

Phone/ Fax:- 05962-23003

E-mail: eepdalmora@rediff.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्राक ४४ / 50 सी०

दिनांक 10 जनवरी 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत पूनागढ़-नाटाडोल मोटर मार्ग से सैम मन्दिर मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी० के निर्माण हेतु 1.547 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव सं० 15502/2015)

संदर्भ:-

आपका पत्र सं० मैमो/12-1(2) दिनांक 10.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित किया जा

रहा है।

Objection	निराकरण
1-In para -E of online part I, it is mention that permanent and temporary Employment for 04 person and 15 person respectively, is likely to be generated which does not appears to be corrected.	रोजगार से सम्बन्धित सूचना पार्ट I के para-E में अंकित कर लिया गया है। लिया गया है।
2-Justification is not authenticated by DFO. Please uploaded Justification authenticated by DFO at section D in Form A part I.	Justification for locating the project in forest land के प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर करवाकर ऑनलाईन पार्ट I के para-D(iii) में अपलोड कर लिया गया है।
3-The other documents uploaded in the column L-(iv) g in place of MOU signed between user agency and present owner for CA. the document uploaded are related to agreement between owners of Nap Land and construction department, while in these place the document need to be uploaded regarding to area proposed for CA form A part I.	एमओयू पार्ट I के para-L में अपलोड कर लिया गया है।
4- CA scheme and CA suitability certificate are not uploaded in online part II SR.NO-13.	Authorization letter से पार्ट I के A-3(xvii) में अपलोड कर लिया गया है।
5-NPV calculation detail has not been uploaded at para-13 in Form A in Form A, Part II, NPV calculation must be done according to filled density and ECO Class at Para-4(i) in Form A, Part II	यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।
6-Tree list in 9m width along with land schedule has not been uploaded as additional information in para 13 Form A, part II, please rectify.	यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।
7-Please upload land scheduled with compartment no including area at para 13 as additional information, in Form A, Part II.	यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।